मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 17, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. सुनीलम् तथा समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यगण प्रश्न संख्या-9 (क्रमांक-829) पर पूरक प्रश्न पूछने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए और अपनी बात कहने लगे तथा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या-10 (क्रमांक-1133) "चित्रकूट के महंत की मृत्यु की जांच" संबंधी प्रश्न पर शासन द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. व्यवस्था

प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक-1110) पर माननीय सदस्य श्री सत्यदेव कटारे द्वारा आसंदी की बिना अनुमति के पूरक प्रश्न दोहराते रहने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव कटारे द्वारा पूरक प्रश्न में मान्य परम्पराओं का पालन न करने के कारण और उनके द्वारा आसंदी के निर्देश देने के बाद भी उसको दोहराने पर मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि भविष्य में वे सदन की मान्य परम्पराओं का पालन करें।

यह सदन आप सबके सहयोग से चलता है और एक दूसरे का सम्मान और मान करना एक दूसरे का कर्तव्य है। हम किस दल से है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम विधायक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की 6 करोड़ जनता हमारे हर कृत्य पर निगाह रख रही है। इसलिये कोई भी ऐसी बात कहना जो नियम के विरूद्ध हो उचित नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है माननीय कटारे जी ने अपने प्रश्न को रखा फिर उसको दोहराया, यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है मैं भविष्य में आप सब से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह आप सुनिश्चित करें।

(व्यवधान होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही 11.32 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.43 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रदेश में विद्युत कटौती से व्याप्त बिजली संकट होने के कारण गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी करते रहे)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य की प्रदेश में केरोसीन का कोटा बढ़ाये जाने,

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की प्रदेश के संविदा शिक्षकों को वापस लिये जाने,

(3) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र छतरपुर के अंतर्गत अनेक ग्रामों में ग्रामवासियों को विस्थापित किये जाने,

(4) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत नियुक्त गुरूजियों को शिक्षकों से समान वेतन न दिये जाने,

(5) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले में पावई के पास क्वारी नदी पर रपटा निर्माण न कराये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद नागदा उप संभाग में किसानों को पर्याप्त बिजली न मिलने से फसलों को नुकसान होने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की खराबी के कारण बिजली आपूर्ति की अपर्याप्तता से किसान परेशान होने,

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की प्रमुख सड़कों की जर्जर हालत होने,

(9) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की गुलमोहर (बाबड़िया कला) से तिलक नगर पहुंच मार्ग का डामरीकरण न होने से दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाएं होने से जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने, तथा

(10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर खातोली मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन प्रभावित होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य की धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला अपशिष्ट खेतों में फेंके जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का वक्तव्य, तथा

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य की दतिया एवं ग्वालियर जिले में स्थित डबरा चीनी मिल क्षेत्र में अवैध रूप से पावर क्रेशर चलाये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य,
पढ़ा हुआ माना गया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गुढ़ा चम्बल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पायथा से ग्राम बागचीन तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम नन्दपुरा के पास नहर पर पुलिया बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिजली कटौती पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में नारे लगाते रहे)

(5) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में बिजली कटौती पर चर्चा की मांग कराये जाने की मांग न माने जाने के विरोध में सदन से दिन भर के लिये बहिर्गमन किया गया)

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 8 दिसम्बर 2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004)	30 मिनट
(3)	मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004)	30 मिनट
(4)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004)	30 मिनट
(5)	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004)	30 मिनट
(6)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004)	30 मिनट
(7)	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004)	1 घन्टा
(8)	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004)	1 घन्टा

सभा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2004 को सभा की बैठकें सांय 6.00 बजे तक होंगी तथा दिनांक 11 दसम्बर 2004 को सभा की बैठक नहीं होगी।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शंकर लाल तिवारी
(2) श्री बाबूलाल महाजन
(3) श्रीमती अलका जैन
(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(5) श्रीमती रंजना बघेल

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने चर्चा का उत्तर दिया।

9. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जैसा मैंने सदन में उल्लेख किया था कि आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 को दोपहर 1.00 बजे से विधान सभा भवन के ऑडिटोरियम में स्वस्थ जीवन के प्राकृतिक नुस्खों संबंधी प्रशिक्षण और व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

माननीय सदस्यों और मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होकर व्याख्यान का लाभ उठाने का कष्ट करें।

12.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 18, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.